महात्मा गांधी नरेगा अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्र. एफ 21(62)ग्रावि/नरेगा/विविध/2018 जयपुर, दिनांक : 7 AUG 2019

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भारत सरकार के स्तर से जारी मास्टर परिपत्र वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुसार सामग्री उपापन संबंधी निर्देशों की पालना बाबत।**

संदर्भः **इस विभाग पत्र दिनांक 18.06.2019, 02.08.2019**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि राज्य स्तर से जारी किये गये उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सामग्री क्रय हेतु निविदाओं का निष्पादन पंचायत समिति स्तर पर किये जाने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 7.08.2019 को पंचायत समिति लालसोट, जिला दौसा एवं पंचायत समिति नोहर, जिला बीकानेर द्वारा आमंत्रित की गई ई–निविदाओं के प्रकाशन में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रोसेसिंग शुल्क, निविदा शुल्क एवं अमानत राशि आदि भौतिक रूप से जमा कराये जाने का विज्ञापन दिया गया है, जो कि विभागीय आदेशों में दिये गये निर्देशों का गम्भीर उल्लघंन है। विभागीय निर्देशानुसार जब निविदा की समस्त कार्यवाही पंचायत समिति स्तर पर की जानी है तो निविदा शुल्क की राशि भी पंचायत समिति स्तर पर जमा कराई जानी वांछनीय है। अतः सभी जिलों को पुनः पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सामग्री क्रय हेतु निविदाओं का सम्पूर्ण निष्पादन पंचायत समिति स्तर पर ही किया जाना सुनिश्चित करावें। यदि प्रकियात्मक लापरवाही की वजह से किसी भी जिले से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी की होगी तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक की पर्यवेक्षणीय लापरवाही मानी जावेगी।

भवदीय,

(पी.सी. किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
2. परियोजना अधिकारी (लेखा),ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

–219–

Scanned by CamScanner